सं. 17-75/2023-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001
दिनांक : 22.07.2024

सेवा में,

सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल

विषय : पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और निजी उद्देश्य से विदेश यात्रा पर जाने से पूर्व ग्रामीण डाक सेवकों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देशों के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 14.05.2023 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 17-75/2023-GDS का संदर्भ ले।

2. इस विषय में मुझे दिनांक 14.05.2023 के उक्त कार्यालय ज्ञापन की हिंदी अनुवादित प्रति अग्रेषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन का हिंदी संस्करण सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय,
Signed by Ravi Pahwa
Date: 22-07-2024 11:46:38

(रवि पाहवा)
सहायक महानिदेशक (जीडीएस/पीसीसी/पीएपी)
टेलीफोन नं: 011-23096629
ईमेल:- adggds426@gmail.com

[कार्यालय ज्ञापन सं. 17-75/2023-जीडीएस दिनांक १४.०५.२०२४ का हिंदी अनुवाद]

सं. 17-75/2023-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दिनांक : 14.05.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और निजी उद्देश्य से विदेश यात्रा पर जाने से पूर्व ग्रामीण डाक सेवकों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देशों के संबंध में।

इस निदेशालय को, विभिन्न सर्कलों से इस आशय के संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और निजी उद्देश्य से विदेश यात्रा पर जाने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की जाए।

2. इस मामले की जांच की गई है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। अतः, इस प्रयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निजी उद्देश्य से विदेश यात्रा पर जाने वाले जीडीएस के लिए सक्षम प्राधिकारी से यात्रा-पूर्व अनुमति (निर्धारित प्रोफॉर्मा में) लेना अनिवार्य है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जीडीएस द्वारा यात्रा-पूर्व अनुमति/एनओसी लेने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रपत्र तथा एसओपी तैयार की गई।

3. अतः, यह निर्णय लिया गया है कि निजी उद्देश्य से विदेश यात्रा के लिए अनुमति हेतु अनुरोध संलग्न प्रारूप के माध्यम से प्रोसेस किया जाएगा। सभी श्रेणियों के जीडीएस के मामले में 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रदान करने/अस्वीकार करने वाला सक्षम प्राधिकारी, डिवीजन/यूनिट प्रमुख (अर्थात कम से कम डाक सेवा, समूह 'ख' स्तर का अधिकारी) होगा।

4. किसी भी जीडीएस को केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी :

क) यदि जीडीएस 'पुट ऑफ ड्यूटी' पर हो;

ख) यदि **सतर्कता के दृष्टिकोण** से दीर्घ शास्ति लगाए जाने हेतु अनुशासनिक कार्रवाई लंबित हो;

ग) यदि विभाग द्वारा दर्ज किसी शिकायत पर दांडिक कार्रवाई लंबित हो;

घ) यदि किसी निजी पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर दांडिक कार्रवाई लंबित हो, तो संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श के पश्चात ही अनुमति दी जाएगी।

5. हर दृष्टिकोण से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर, सक्षम प्राधिकारी, जीडीएस के एनओसी को स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा। यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर संबंधित जीडीएस को अपना निर्णय संसूचित करने में असफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि इस मामले में कोई आपत्ति नहीं है और एनओसी प्रदान कर दी गई है।

6 . 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाएगा:

क. कि विदेश जाने के लिए छुट्टी की अवधि 90 दिन से अधिक की न हो।

ख. कि यदि, एनओसी जारी किए जाने के पश्चात जीडीएस के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/दांडिक मामला शुरू होता है; या उसे 'पुट ऑफ ड्यूटी' किया जाता है, तो जारी किया गया उक्त एनओसी स्वतः अमान्य हो जाएगा और उक्त जीडीएस को विदेश यात्रा पर जाने के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। तथापि, सक्षम प्राधिकारी, स्वीकृत एनओसी/छुट्टी के रद्द किए जाने के संदर्भ में औपचारिक आदेश भी जारी करेगा।

ग. कि यदि जीडीएस, स्वीकृत छुट्टी की अवधि, जिसके लिए एनओसी जारी किया गया था, के पूरे होने के बाद भी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस जीडीएस के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है।

घ. कि यदि कोई जीडीएस, एनओसी के लिए आवेदन किए बिना विदेश यात्रा पर जाता है या 90 दिन पूरे होने के बाद भी ड्यूटी पर नहीं लौटता है, तो धारित पद पर उसका लिएन (Lien) समाप्त हो जाएगा और उक्त जीडीएस के विरुद्ध ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2020 के अनुसार सेवा से हटाए जाने/बर्खास्त किए जाने हेतु अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उस जीडीएस को 'ऑफ ड्यूटी' माना जाएगा और वह अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही, उक्त पद रिक्त माना जाएगा और तदनुसार, उसे ऑनलाइन नियोजन/स्थानांतरण/अनुकंपा आधार पर नियुक्ति आदि के माध्यम से भरा जाएगा।

7. अनुरोध है कि इस एसओपी को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए और जीडीएस कार्मिकों के निजी उद्देश्य हेतु विदेश यात्रा के लिए एनओसी प्रदान करते समय इसका कड़ाई से पालन किया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ताक्षरित

(रवि पाहवा)
सहायक महानिदेशक(जीडीएस/पीसीसी/पीएपी)
टेलीफोन नं: 011-23096629
ई-मेल: adggds426@gmail.com

सेवा में,

सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल

<u>निजी उद्देश्य से विदेश यात्रा पर जाने के लिए जीडीएस द्वारा दिए जाने वाले आवेदन हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)</u>

(i) ग्रामीण डाक सेवक द्वारा ऐसी यात्रा के कम से कम 30 दिन पहले संबंधित उप डिवीजन प्रमुख/यूनिट इंचार्ज को अनुबंध – I में दिए गए प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) उप डिवीजनल प्रमुख/यूनिट इंचार्ज द्वारा उक्त विवरण की जांच कर तीन दिन के अंदर आवेदन (अनुबंध – 1) के भाग – ख को भरकर, आवेदन डिवीजन/यूनिट प्रमुख को अग्रेषित किया जाएगा।

(iii) डिवीजन/यूनिट में आवेदन प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर, डिवीजन/यूनिट प्रमुख की अनुमति/अस्वीकृति/टिप्पणियां अनुबंध-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार, संबंधित जीडीएस को संसूचित की जाएंगी। इसकी एक प्रति उप डिवीजनल प्रमुख को भी अग्रेषित की जाएगी। संबंधित जीडीएस द्वारा आवेदन जमा किए जाने के 21 दिन के भीतर उक्त अनुमति/अस्वीकृति/टिप्पणियां अवश्य सूचित कर दी जानी चाहिएं।

(iv) डिवीजन/यूनिट प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित जीडीएस को 90 दिन तक की छुट्टी प्रदान की जा सकती है।

(v) विदेश यात्रा पर जा रहे जीडीएस के स्थान पर एवजी की व्यवस्था निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 17-31/2016-जीडीएस दिनांक 11.02.2022 के तहत जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

अनुबंध – I

जीडीएस द्वारा निजी उद्देश्य से विदेश यात्रा पर जाने से पूर्व अनुमति लेने हेतु प्रोफॉर्मा

भाग क – ग्रामीण डाक सेवक द्वारा भरे जाने हेतु

1. जीडीएस का नाम	
2. जीडीएस का पदनाम (बीपीएम/एबीपीएम/डाक सेवक)	
3. कार्यालय का नाम (बीओ/एसओ/एचओ)	
4. उप डिवीजन/डिवीजन का नाम	
5. टीआरसीए का स्तर	
6. पासपोर्ट नंबर	

7. की जाने वाली विदेश यात्रा का विवरण –

यात्रा की अवधि	यात्रा किए जाने वाले देशों के नाम	उद्देश्य	अनुमानित व्यय (यात्रा, भोजन, आवास, वीजा, विविध, अन्य)	धन का स्रोत	विदेश प्रवास के दौरान डाक पत्राचार का पता

8. पिछले चार वर्षों के दौरान निजी उद्देश्य से की गई विदेश यात्राओं का ब्यौरा (जीडीएस के रूप में नियोजन से पूर्व सहित) :-

यात्रा किए गए देशों के नाम	यात्रा की अवधि	उद्देश्य

9. **घोषणा** : मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं और मैं इनके सटीक होने की पूर्णतः जिम्मेदारी लेता/लेती हूं।

हस्ताक्षर : ....

दिनांक : ....

नाम : ....

पदनाम : ....

कार्यालय का नाम : ....

शपथ-पत्र

मैं, ____________ (जीडीएस का नाम), _____________ (पद और बीओ/एसओ/एचओ का नाम), एतदद्वारा यह शपथ लेता/लेती हूं कि मैं, मुझे स्वीकृत छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद अप्राधिकृत रूप से विदेश में नहीं ठहरूंगा/ठहरूंगी। किसी भी नियम या शपथ के उल्लंघन की स्थिति में, मेरे विरूद्ध, समय-समय पर संशोधित जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2020 के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ताक्षर : ....

दिनांक : ....

नाम : ....

पदनाम : ....

कार्यालय का नाम : ....

-

भाग ख – उप डिवीजनल प्रमुख द्वारा भरे जाने हेतु

-

1. क्या ग्रामीण डाक सेवक 'पुट ऑफ ड्यूटी' पर है।

2. क्या सतर्कता संबंधी किसी मामले में दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के लिए कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है? (यदि है, तो विवरण प्रस्तुत करें।)

3. क्या विभाग द्वारा दर्ज किसी शिकायत पर कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित है (यदि है, तो विवरण प्रस्तुत करें)।

4. क्या किसी निजी पक्ष द्वारा दर्ज शिकायत पर कोई आपराधिक कार्रवाई लंबित है (यदि है, तो विवरण प्रस्तुत करें)।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर

उप डिवीजन/यूनिट इंचार्ज का नाम तथा पदनाम

दिनांक :

<u>अनुबंध - II</u>

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाले अनमोदन का प्रारूप

फाइल सं. ..../.........

भारत सरकार

एसएसपीओ/एसपीओ का कार्यालय, ... डिवीजन

दिनांक : ....

कार्यालय आदेश

विभाग, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी.......................(जीडीएस का नाम) .... (जीडीएस का पदनाम तथा कार्यालय का नाम) द्वारा दिनांक................ को प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन .... से .... की अवधि के लिए .... (उस देश का नाम, जहां की यात्रा पर जाना है) की यात्रा हेतु अपनी 'अनापत्ति' संसूचित करता है :-

1. कि वह छुट्टी मंजूर होने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर जाएगा/जाएगी।

2. कि वह विदेश जाने से पूर्व कार्यभार हैंडओवर कर अथवा उपयुक्त एवजी की व्यवस्था कर जाएगा/जाएगी।

3. कि वह विदेश में रहते हुए किसी भी प्रकार की नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा/करेगी अथवा प्रशिक्षण या शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाग नहीं लेगा अथवा किसी भी व्यवसाय का प्रचार-प्रसार अथवा शुरुआत नहीं करेगा/करेगी।

4. कि सरकार उसकी विदेश यात्रा के संबंध में यात्रा व्यय आदि सहित किसी भी प्रकार के अन्य व्यय हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।

5. कि वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना बाद में किसी अन्य उद्देश्य हेतु विदेश यात्रा के लिए उक्त 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' का प्रयोग नहीं करेगा/करेगी।

6. कि वह संस्वीकृत छुट्टी की अवधि बीत जाने के बाद अप्राधिकृत रूप से विदेश में नहीं रहेगा और किसी भी नियम अथवा शपथ-पत्र में दिए गए वचन के उल्लंघन के मामले में वह समय-समय पर यथा संशोधित जीडीएस (आचरण एवं नियोजन) नियमावली, 2020 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा।

7. कि वह, विदेश में रहते हुए सरकार में धारित अपने पद से त्याग-पत्र नहीं देगा/देगी और किसी भी परिस्थिति में उनका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. कि वह सभी नियमों का पालन करेगा/करेगी तथा भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेगा/रहेगी। साथ ही, ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा/होगी, जो दोनों देशों के परस्पर संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे।

9. कि उनकी विदेश यात्रा के दौरान देश के सुरक्षा रिकार्ड पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10. यदि एनओसी जारी किए जाने के बाद जीडीएस के विरूद्ध कोई अनुशासनिक/आपराधिक मामला बनता है या वह जीडीएस 'पुट-ऑफ-ड्यूटी' हो जाता है, तो उक्त एनओसी स्वत: ही अमान्य हो जाएगी और उक्त जीडीएस को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, यदि कोई छुट्टी स्वीकृत की गई है, तो वह भी रद्द कर दी जाएगी।

11. कि वह विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 में निहित नियमों का अनुपालन करेगा/करेगी।

एसएसपीओ/एसपीओ/यूनिट प्रमुख

.... डिवीजन (डिवीजन का नाम)

प्रति :

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

-